# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2384-पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.06.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 135/2012-13/अपील.

---

1. रामदास पुत्र जलमा (फौत) वारिस
   1. अ- अरूण स्व. रामदास
      निवासी चन्द्रवदनी का नाका, लश्कर
   1. ब- सुरेश स्व. रामदास
      निवासी सिंधिया नगर मरघट पहाडिया, ग्वालियर
   1. स- श्रीमती रानी पत्नी श्री मानसिंह पुत्री स्व. श्री रामदास
      निवासी नितिन नगर ठाठीपुर, मुरार
   1. द- श्रीमती कृष्णा पत्नी वीरसिंह पुत्री स्व. श्री रामदास
      निवासी खेरा घाट, करैरा, जिला शिवपुरी
2. जगन्नाथ पुत्र जलमा (फौत)
   2. अ-श्रीमती सुमित्रा विधवा पत्नी जगन्नाथ
   2. ब-विमला पत्नी लाखनसिंह
      पुत्री स्व. श्री जगन्नाथ
   2. स-नरेन्द्र पुत्र स्व.श्री जगन्नाथ
      निवासी ग्राम सिरोही
      तहसील डबरा जिला ग्वालियर, म.प्र. .....आवेदकगण

**विरूद्ध**

1. कमलाबाई पुत्री श्रीलाल पत्नी पूरन
   निवासी ग्राम सिरोही
   तहसील डबरा जिला ग्वालियर, म.प्र.
2. म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार डबरा जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

---

श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/7/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सिरोही के भूमिस्वामी जलमा की मृत्यु होने पर उसके स्वामित्व की भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 4.492 हेक्टेयर पर आवेदक क्रमांक 1 एवं 2 का नामांतरण पंजी क्रमांक 7 आदेश दिनांक 05.07.1977 द्वारा वारिसान नामांतरण स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 54/95-96 दर्ज कर दिनांक 28.10.1997 को अपील स्वीकार की जाकर 1/3 समान भाग पर नामांतरण की कार्यवाही हेतु तहसीलदार को निर्देश दिये गये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28.12.2011 को आदेश पारित कर यथावत रखा गया। प्रत्यावर्तित आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय प्रकरण क्रमांक 70/11-12/अ-6 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की जाकर उभय पक्ष के हक में समान भाग पर नामांतरण के आदेश दिये गये। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20.11.2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13.06.2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा लेखी साक्ष्य का बिना अवलोकन किये, पटवारी के झूठे पंचनामा के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा जलमा का तीसरा पुत्र श्रीलाल होने के तथ्य को प्रमाणित नहीं किया गया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जबकि 'सिद्धि' का भार अनावेदिका क्रमांक 1 पर था । तर्क में यह भी कहा गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचनामा के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदिका

क्रमांक 1 द्वारा प्रथम अपील विलंब से प्रस्तुत की गई थी और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय-सीमा के बिन्दु का निराकरण किये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा केवल पटवारी कथन पर विश्वास कर, अनावेदिका क्रमांक 1 को श्रीलाल की पुत्री होना मानकर जो आदेश पारित किया गया है, वह अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि उसके द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर किया गया है कि उसके पिता श्रीलाल जलमा का तीसरा पुत्र है। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर नामांतरण पंजी क्रमांक 7 आदेश दिनांक 05.07.1977 यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक पक्ष पूर्व से एकपक्षीय है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि पंजी पर 1977 में वारिसान नामांतरण स्वीकृत हुआ था, जिसके विरूद्ध वर्ष 1997 में अनुविभागीय अधिकारी ने अपील में दिनांक 28-10-97 को आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष वर्ष 2011 में निराकृत हो चुकी है । निगरानी में भी मंडल से निराकृत हो चुकी है । अत: तहसील न्यायालय को अपर आयुक्त के आदेश का पालन करना चाहिए था लेकिन तहसील न्यायालय ने पुन: सुनवाई कर नया आदेश पारित किया है, जिसके विरूद्ध दो अपीलें हो गई हैं । एक बार मंडल तक प्रकरण चलने के बाद नई कार्यवाही पूरी तरह अवैध है । उपरोक्त स्थिति में तहसील न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 28-12-2011 का पालन करना सुनिश्चित करें । उक्त आदेश के बाद नयी कार्यवाही में तहसील न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारीएवं अपर आयुकत द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर